प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक 23.10.2024

- **कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपहरण कर हत्या कर देने की वारदात का किया गया खुलासा।**
- **थाना शिवली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जुगराजपुर बिठूर निवासी एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या कर देने की घटना को अंजाम देने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय रोटावेटर एवं 01 स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नं0- UP78FY0558 बरामद की गयी।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे तथा वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना शिवली पर वादिनी के द्वारा उसके पति के गायब होने तथा संदेह के आधार पर अपहरण की लिखित सूचना दी गयी जिसके आधार पर थाना शिवली पर दिनांक 19.10.2024 को मु0अ0सं0 293/24 धारा 140(1) बीएनएस बनाम 02 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। दौराने जांच जनपद फतेहपुर के थाना बकेवर क्षेत्र में नहर की झाल में एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना पर थाना शिवली पुलिस मय अपहृत व्यक्ति के परिजनों के साथ शव की शिनाख्त हेतु रवाना हुई जहां पर परिजनों द्वारा उक्त शव की शिनाख्त अपहृत ओमप्रकाश के रूप में की गयी। विवेचना के क्रम में उक्त अभियोग में धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस व 3(2)(5) SC/ST एक्ट की वृद्धि की गयी। आज दिनांक 23.10.2024 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित नामजद अभियुक्तगण 1. कन्हैया मिश्रा पुत्र शेषनारायन मिश्रा निवासी ग्राम जुगराजपुर बिठूर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात 2. नन्हा यादव उर्फ राजकुमार पुत्र रामआसरे उर्फ भंगर यादव निवासी ग्राम कल्यानपुर मजरा जुगराजपुर थाना शिवली कानपुर देहात को भेवान चौराहे से 200 मीटर की दूरी पर केसरी निवादा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय रोटावेटर एवं स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नं0- UP78FY0558 बरामद की गयी। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये तीसरे अभियुक्त छोटू उर्फ रत्नेश त्रिवेदी पुत्र पप्पू त्रिवेदी निवासी ग्राम जुगराजपुर बिठूर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर तलाश की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछताछ- अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 16.10.2024 को नन्हा यादव के साथ ट्रैक्टर पर ओमप्रकाश साइड में बैठा हुआ था। रोटावेटर पर रखे खाद के बोरे को ठीक से रखने के दौरान वह नीचे गिर गया और गम्भीर रुप से घायल हो गया। मौके पर कन्हैया मिश्रा एवं छोटू त्रिवेदी भी मौजूद थे, इन लोगों ने जब देखा की ओमप्रकाश मरणासन्न है और अगर इलाज में बच गया तो हम लोग फंस जाएंगे और जेल चले जाएंगे। इस पर हम लोगों ने ट्रैक्टर चढाकर घायल ओमप्रकाश की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए योजना बनायी। उसी दिन शव को बोरे में भरकर कन्हैया मिश्रा उपरोक्त की सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार की डिग्गी में रखकर जनपद फतेहपुर में जहानाबाद की नहर में फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. कन्हैया मिश्रा पुत्र शेषनारायन मिश्रा निवासी ग्राम जुगराजपुर बिठूर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
2. नन्हा यादव उर्फ राजकुमार पुत्र रामआसरे उर्फ भंगर यादव निवासी ग्राम कल्यानपुर मजरा जुगराजपुर थाना शिवली कानपुर देहात।

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय रोटावेटर
2. 01 स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नं0- UP78FY0558

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 293/2024 धारा 140(1) /103(1)/238/3(5) बीएनएस एवं 3(2)(5) SC/ST एक्ट थाना शिवली कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री हरमीत सिंह
2. उ0नि0 श्री गुरेन्द्र प्रताप सिंह
3. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार
4. हे0का0 470 धर्मेन्द्र
5. हे0का0 343 संतोष
6. का0 294 राजदीप